HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Appeal No. 1126/2026

Mahendra Kumar S/o Totaram, R/o Dadhikar Ki Dhani, P.S. Sadar, District Alwar, Rajasthan, Presently Residing At Narayan Vihar, Aakeda, P.S. Dharuhera, District Alwar, Rajasthan.
(At Present Confined In Central Jail-Alwar)

----Appellant-Acused

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Gyansingh S/o Ratansingh, Aged About 36 Years, R/o Jivad, Weir, Alwar, Rajasthan, India, Presently Residing At Santosh Colony, Narayan Vihar Aakeda, Daruhera, Haryana, India.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Swapnil Singh Patel, Adv. with Ms. Shivangi Singh Patel, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Jaiprakash Tiwari, Dy. G.A.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
(VACATION JUDGE)

Order

02/06/2026

1. अपीलार्थी/अभियुक्त **महेंद्र कुमार पुत्र तोताराम** की ओर से यह अपील अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 की **धारा 14(ए)** के तहत विद्वान विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण खैरथल, जिला खैरथल–तिजारा (जिसे आगे 'विचारण न्यायालय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **पुलिस थाना–भिवाड़ी, जिला अलवर** में दर्ज **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–162/2018,** अपराध अन्तर्गत **धारा 323, 341, 342, 365, 392 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989** में अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में पारित

आदेश **दिनांक 07.05.2026** के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से दायर जमानत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया गया है।

2. विद्वान अधिवक्तागण अपीलार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया जा चुका है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 342, 365, 392 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3(2)(**V**) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप है। अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत बहस चार्ज की स्टेज पर अपीलार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि अपीलार्थी/अभियुक्त खाने–कमाने के लिए बाहर चला गया था, इस कारण उसकी जमानत जब्त हो गई थी। दिनांक 07.05.2026 को अपीलार्थी/अभियुक्त ने विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था, तब से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अपीलार्थी/अभियुक्त गरीब व्यक्ति है। अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए व्यक्त किया गया कि अपीलार्थी–अभियुक्त ने जमानत प्रावधानों का दुरुपयोग किया है। अपीलार्थी–अभियुक्त को पुनः जमानत पर रिहा नहीं किया जावे तथा अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपीलार्थी/अभियुक्त की अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. इसके अतिरिक्त विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के परिवादी ज्ञानसिंह को उक्त अपील प्रस्तुत होने के संबंध में दी गई सूचना की रिपोर्ट दिनांकित 23.05.2026 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

5. बावजूद सूचना परिवादी ज्ञानसिंह की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

6. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके उपरांत बहस चार्ज की स्टेज पर अपीलार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका, इस कारण उसके जमानत मुचलके जब्त हो गए थे। दिनांक 07.05.2026 को अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किए जाने के पश्चात् से ही वह न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. परिणामतः अपीलार्थी/अभियुक्त **महेंद्र कुमार पुत्र तोताराम** की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.05.2026 को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी/अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी/अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–162/2018, पुलिस थाना–भिवाड़ी, जिला अलवर** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **पचास हजार रूपये** का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा **पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये** की दो तस्दीकशुदा सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अपीलार्थी/अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। अपीलार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

ASHUTOSH KUMAR, V.J.

161/KESHAV VERMA